

18/11/25

पत्रावली पेश की गई। वकूलाप अनु०। उक्तरण में सुनवाई

P.O. द्वारा जारी कार्य में व्यवस्था है।

पत्रावली फुटे अनुसार दिनांक 09/12/25 को पेश हो

9/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप अनु०। उक्तरण में सुनवाई  
दो बार-बार भावाज लगायी गयी। बार-बार भावाज  
लगावने के उपरान्त श्री वकील शर्मा की तरफ से  
कोई उपस्थित नहीं आया। अतः शर्मा का अर्जन पर  
अदम धाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर  
थमतर शरखिल हो।



राजवीर सिंह यादव  
उपखण्ड अधिकारी  
नीमकाथाना (सीकर)

